न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 8010–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–03–2016 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रकरण कमांक रीडर/आ0आ0/2016/110.

.....

चतुर्भुज गुप्ता पुत्र श्री अंतुराम गुप्ता
प्रोपराईटर होटल भगवती, नई सड़क,
लश्कर ग्वालियर

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
2–आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश
मोतीमहल ग्वालियर

..... प्रत्यर्थीगण

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री प्रभात जादौन, अभिभाषक–प्रत्यर्थीगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/9/16 को पारित)

यह अपील, अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 62(2)(ग) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका कमांक 5717/2015 में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–12–2015 के अनुकम में इस न्यायालय में विवादित प्रकरण कमांक 4008–अध्यक्ष/2015 प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17–12–2015 को आदेश पारित कर इस न्यायालय के अपील प्रकरण कमांक 440–अध्यक्ष/2015 में पारित आदेश दिनांक 14–5–2015 का पालन किये जाने के निर्देश दिये गये । इस न्यायालय के आदेश के पालन में आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 8–3–2016 को आदेश पारित

कर अपीलार्थी का वर्ष 2015–16 की शेष अवधि के लिये होटल (एफ.एल.–3) लायसेंस के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि आबाकारी आयुक्त द्वारा छोटे छोटे कारणों जैसे पार्किंग नहीं होना, फायर फाईटर नहीं होना व सूचना केंद्र नहीं होना आदि के आधार पर अपीलार्थी का लायसेंस निरस्त करने में पूर्णतः अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि पूर्व वर्षो में भी अपीलार्थी द्वारा चाहा गया लायसेंस के नवीनीकरण की कार्यवाही आबकारी आयुक्त द्वारा येन–केन–प्रकारेण नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि अपीलार्थी द्वारा वेट का भुगतान नहीं किया गया है जब अपीलार्थी द्वारा बार का व्यवसाय नहीं किया गया, तब वेट देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । उनके द्वारा आबकारी आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर लायसेंस नवीनीकरण किये जाने के आदेश देने का अनुरोध किया गया है ।

4/ प्रत्यर्थीगण शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा लायसेंस की शर्तो को पूरा नहीं किया गया है और यदि वर्तमान में वह व्यवसाय नहीं कर रहा था तब उन्हें पूर्व में अदा किये गये वेट का विवरण प्रस्तुत करना था, अतः आबकारी आयुक्त द्वारा लायसेंस नवीनीकरण का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णत वैधानिक कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आबकारी आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि यह प्रकरण वर्ष 2015–16 के लायसेंस से संबंधित है जिसकी अवधि दिनांक 31–3–2016 को समाप्त हो चुकी है, अतः यह अपील निरर्थक होने से इसी आधार पर निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर